राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.2(85)नविवि/उदयपुर/2016 जयपुर, दिनांक :– 6 OCT 2017

आदेश

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में दिनांक 02.05.2012 को जोड़ी गई धारा 90–ए (7)(बी) में निम्न प्रावधान है :–

वह भूमि धारा 102–क अधीन स्थानीय प्राधिकारी के अध्याधीन रखी गई समझी जायेगी और स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि के अधीन बनाए रखे नियमों विनियमों या उपविधियों के अनुसार किसी भी अनुज्ञेय गैर–कृषिक प्रयोजन के लिये स्थानीय प्राधिकारी को उपधारा (4) के अधीन उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या प्रीमियम या दोनों के संदायं के अध्यधीन रहते हुए, स्थनीय प्राधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को, जिसको इस धारा के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गई है या ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारी (Successor) समनुदेशिती (Assignees) या अन्तरिती (Transferees) को आवंटन के लिये उपलब्ध होगी।

उक्त प्रावधानों के कम में दिनांक 28.06.10 को जारी टाउनशिप पॉलेसी की अधिसूचना क्रमांक दिनांक 28.06.10 के बिन्दू संख्या 12(i), (ii) में निम्न प्रावधान किया गया है:–

(i) " First patta or lease deed can be issued to the khatedar/developer or to the nominees of the khatedar/developer, however in the projects of group housing/commercial/institutional etc. Single patta may be given to the khatedar/developers or his mominee at his choice.

(ii) The developer of the residential scheme shall submit the list of "Nominees" on his own or through resistered power of attorney holder. As per list given, ULB shall issue the patta in favour of such nominee/nominees. "

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–ए (7)(बी) के अन्तर्गत मूल खातेदार/खातेदारों द्वारा न्यास में व्यक्तिगत उपस्थित होकर उत्तराधिकारी, समनुदेशिती, हस्तान्तरिती (Successor, Assignees, Transferees), के हक में आदेश कमांक प. 3(43)नविवि/03/09 दिनांक 25.02.2009 के साथ संलग्न **प्रपत्र –द** भरकर प्रस्तुत कर प्रोविजनल आवंटन पत्र एवं पट्टाविलेख (लीज डीड) जारी करने हेतु सहमति सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। उन प्रकरणों में पटटा विलेख जारी किये जाने के समय मूल खातेदार को जिसने समनुदेशिती (Assignees) के पक्ष में **प्रपत्र–द** भरकर प्रस्तुत किया है के व्यक्तिगत उपस्थित होने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

अतः जिन प्रकरणों मे मूल खातेदार द्वारा उत्तराधिकारी, समनुदेशिती, हस्तान्तरिती (Successor, Assignees, Transferees), के हक में प्रपत्र–द निष्पादित कर दिया है, उनमें मूल खातेदार को उपस्थित होने की बाध्यता नही लगाकर नियमानुसार प्रभावी नियमों एवं प्रावधानों को द्वष्टिगत रखते हुए पट्टा विलेख (लीजडीड) जारी करने की कार्यवाही करावें। अगर किसी प्रकरण में कोई शिकायत आयी हो या प्रपत्र–द की वैधानिकता के बारे में कोई संदेह हो तो अखबार मे विज्ञप्ति जारी कर आपत्ति मॉग कर समुचित कार्यवाही की जावें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

6/10/17

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन मण्डल विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
5. जिला कलेक्टर (समस्त) राजस्थान।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
9. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त अधिसूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. श्री आर.के.पारीक, विशेषाधिकारी/परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, नगर नियोजन भवन जेडीए जयपुर के पास।
13. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
14. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
15. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
16. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम